न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 42 / 2022 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 10.03.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

किशन चन्द आत्मज श्री जगन्नाथ जी जाति श्रृंगी ब्राहमण निवासी एक मीनार मस्जिद के पास, छावनी कोटा हाल मकान नं० 3 अरावली विहार केनाल रोड, बोरखेडा कोटा

....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक – अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 1
श्री शम्भुदयाल विजय अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 24.04.2025

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.15( ) / राजस्व–III / 2015 / 574–81 दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.15( ) / राजस्व–III / 2015 / 574–81 दिनांक 29.02.2016 द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ–15 / कृ0भू0रू0 / () / 2015 / 823 दिनांक 03.08.2015 से तहसील लाड़पुरा के 72 ग्राम की सिवायचक भूमियों को न्यास के पक्ष में आवंटन करने हेतु अनुरोध किये जाने पर उक्त ग्रामों के क्रम में तहसीलदार, लाड़पुरा से प्राप्त संशोधित सूची अनुसार 72 ग्रामों में से 55 ग्रामों के 1027 खसरा नम्बरान की प्राप्त इकजाई अनुसार उक्त सिवायचक भूमियों को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102ए के अन्तर्गत

अति. सं. आयुक्त
कोटा

आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को शर्तों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने का आदेश पारित किया गया।

2. अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.15( ) /राजस्व–III/2015/574–81 दिनांक 29.02.2016 से व्यथित होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश की गई, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एंव तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 424/220 की 0.48 हेक्टर भूमि अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की है, उपरोक्त भूमि को अपीलान्ट ने भूखण्डों में विभक्त कर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नही लिया है। पटवारी हल्का की गलत एवं त्रुटि पूर्ण रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार साहब ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में दिनांक 13.1.2006 को आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश की अप्रसन्नता से जिला कलेक्टर साहब कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील दिनांक 07.09.2015 को खारिज फरमा दी गई थी उक्त दोनो आदेशों की अप्रसन्नता से अपीलान्ट ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2018 को निर्णित कर आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का एवं अपीलान्ट को सुनवायी एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने का आदेश पारित किया गया है तथा पूर्व का एक पक्षीय निर्णय त्रुटि पूर्ण माना गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की होने से कानूनन सेटअपार्ट कर आरक्षित कर रेस्पो० नं0 2 को आबादी विस्तार हेतु आवंटित नहीं की जा सकती है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील, लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 424/220 की 0–48 हेक्टर भूमि का खातेदार टेनेन्ट एंव काबिज है तथा अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि में हित निहित है। हुक्म जेर अपील से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिती में पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.12.2020 को पटवारी के पास उसकी उपरोक्त भूमि की खाते की नकल लेने जाने पर एवं पटवारी हल्का द्वारा उसके खाते में कोई भूमि दर्ज नहीं होकर उपरोक्त भूमि नगर विकास न्यास कोटा रेस्पो० नं0 2 के खाते दर्ज होने की जानकारी हुई। अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील की

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 06.01.2021 को प्राप्त हुई उक्त आदेश के साथ सेट–अपार्ट की गयी भूमि की ग्राम वाईज सूची दी गयी परन्तु ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बरान एवं रकबे की सूची नहीं दी गई थी। अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.01.2021 को प्राप्त हुई। अतः हुक्म जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी की तारीख 30.12.2020 से हुक्म जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अवधि मध्य मानी जावे। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाई जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 424/220 की 0.48 हेक्टर भूमि अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की है, उपरोक्त भूमि को अपीलान्ट ने भूखण्डों में विभक्त कर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नही लिया है। पटवारी हल्का की गलत एवं त्रुटि पूर्ण रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लाड़पुरा ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में दिनांक 13. 1.2006 को आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश की अप्रसन्नता से जिला कलेक्टर साहब के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील दिनांक 07.09. 2015 को खारिज फरमा दी गई थी उक्त दोनो आदेशों की अप्रसन्नता से अपीलान्ट ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2018 को निर्णित कर आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का एवं अपीलान्ट को सुनवायी एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने का आदेश पारित किया गया है तथा पूर्व का एक पक्षीय निर्णय त्रुटि पूर्ण माना गया है। इसके उपरांत न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के उक्त निर्णय की पालना में निर्णय दिनांक 06.10.2021 पारित किया गया है कि "हम प्रकरण में जांच कराना उचित समझते है कि वास्तव में अपीलांट द्वारा कृषि उपयोग के अतिरिक्त भूमि पर भवन निर्माण आदि किया है या नहीं मौके की रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने हेतु एवं अपीलांट को पूर्ण सुनवाई एवं

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाकर सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार, लाड़पुरा को इस हद तक प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करें तथा रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखते हुए अपीलांट को बेदखल नहीं किया जावे"। धारा 92 एलआरएक्ट के तहत सिर्फ सिवायचक भूमि को ही सेटअपार्ट किया जा सकता है, खातेदारी भूमि को नहीं किया जा सकता। चूंकि सिवायचक का आदेश निरस्त हो चुका है एवं हुक्म जेर अपील से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाई जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा आवंटन आदेश दिनांक 29.02.2016 को निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT2002(1) Page No. 383, RRD 1987 Page No. 459, 2022(1)DNJ [Rev.] Page No. 519, RRT 2024(1) Page No. 275, 2012(1) DNJ [Rev.] Page No. 413, RRD 1990 Page No. 281, RRD 1982 Page No. 332, RRD 1984 Page No. 45** पेश किये।

5. रेस्पो0 क्र.1 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने प्रकट किया।

6. रेस्पो0 क्र.2 अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया। जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.15( )/राजस्व–III/2015/574–81 दिनांक 29.02.2016 द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ–15/कृ0भू0रू0/()/2015/823 दिनांक 03.08.2015 से तहसील लाड़पुरा के 72 ग्राम की सिवायचक भूमियों को न्यास के पक्ष में आवंटन करने हेतु अनुरोध किये जाने पर उक्त ग्रामों के क्रम में तहसीलदार, लाड़पुरा से प्राप्त संशोधित सूची अनुसार 72 ग्रामों में से 55 ग्रामों के 1027 खसरा नम्बरान की प्राप्त इकजाई अनुसार उक्त सिवायचक भूमियों को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को शर्तों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का किसी प्रकार से हित प्रभावित नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

कोटा

7. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी का निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.15( )/राजस्व–III/2015/574–81 दिनांक 29.02.2016 द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ–15/कृ0भू0रू0/()/2015/823 दिनांक 03.08.2015 से तहसील लाड़पुरा के 72 ग्राम की सिवायचक भूमियों को न्यास के पक्ष में आवंटन करने हेतु अनुरोध किये जाने पर उक्त ग्रामों के क्रम में तहसीलदार, लाड़पुरा से प्राप्त संशोधित सूची अनुसार 72 ग्रामों में से 55 ग्रामों के 1027 खसरा नम्बरान की प्राप्त इकजाई अनुसार उक्त सिवायचक भूमियों को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को शर्तों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के प्रकरण सं0 28/2018 बउनवान किशन आत्मज जगन्नाथ बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 की प्रति पेश की गई। उक्त निर्णय अनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा सं0 424/220 रकबा 0.48 है0 के संबंध में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करने तथा रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखते हुए अपीलार्थी को बेदखल नहीं किये जाने का निर्णय दिनांक 06.10.2021 पारित किया गया है। साथ ही जमाबंदी सम्वत् 2057–2060 खसरा सं0 424/220 रकबा 0.48 प्रतिलिपि पेश की गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का हित प्रभावित होना प्रकट होने से तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 में अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र 96

अति. रा. अ. कोटा

सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रकट होता है।

9. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी मूलतः न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के आदेश दिनांक 13.01.2006 से व्यथित होने से न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के यहां अपील पेश की गई, जिसे दिनांक 07.09.2015 से खारिज किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी में की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 21.02.2018 से जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। पुनः जिला कलक्टर द्वारा निर्णय दिनांक 06.10.2021 पारित कर तहसीलदार, लाड़पुरा को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। उक्त विवेचन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पृथक से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें तहसीलदार, लाड़पुरा द्वारा निर्णय किया जाना है। अपीलाधीन आदेश सिवायचक भूमि को सेटअपार्ट करने से संबंधित पश्चातवर्ती आदेश है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को तहसीलदार, लाड़पुरा के यहां रिमाण्ड प्रकरण में चाराजोही करनी चाहिए। अपीलार्थी मूलतः तहसीलदार, लाड़पुरा के आदेश दिनांक 13.01.2006 से व्यथित है, जिसकी पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण तहसीलदार लाड़पुरा के यहां प्रक्रियाधीन है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को कोई अनुतोष देय नहीं हो सकता क्योंकि भूमि सिवायचक होने से सेटअपार्ट की कार्यवाही की गई, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा का आदेश क्रमांक प.15( )/राजस्व–III/2015/574–81 दिनांक 29.02.2016 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24/04/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. आयुक्त
कोटा